

विवरणिका

BROCHURE

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरकों का चयन

Selection of Rajiv Gandhi Rural LPG Distributors



Brochure on Selection of Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitarak (RGGLV)

1. Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitarak Yojana (RGGLV)

Locations for setting up of Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitarak (RGGLV) are identified broadly based on potential of average monthly sale of 600 LPG cylinders of 14.2 kg and 1800 customers with monthly per capita consumption of about 5 Kg, The assessment of refill sale potential is based on several factors including population, population growth rate, economic prosperity of the location and the distance from the existing nearest distributor.

Setting up of RGGLV at the identified location is a business proposition and has normal business risks and does not guarantee any assured returns or profits or any quantum of refill sale. It is extremely important to note that proprietor of RGGLV himself operates it and if need be he may employ one person for assistance.

2. Reservation for RGGLV

The percentage reservation for various categories in all the States except Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Mizoram are as under: -

A	Open Category (O)	50%
B	Schedule Castes / Scheduled Tribes (SC/ST)	25%
C	Combined Category (CC) consisting of Defence Personnel (DP), Paramilitary/Police/Govt.Personnel (PMP) Physically Handicapped Personnel (PH) Outstanding Sports Persons (OSP)	25% for DP/PMP/PH/OSP all clubbed together

State wise '100-point' roster is maintained on Industry basis (i.e jointly by IOCL,BPCL and HPCL) to ensure the percentage reservations as mentioned above is achieved. The Distribution between SC and ST shall be as per the population ratio in the respective State.

Reservations for RGGLV in tribal areas in North Eastern States for Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Mizoram are as under: -

State	Percentage of RGGLV to be awarded to ST category	Balance % to be awarded to open category
Arunachal Pradesh	70	30
Meghalaya	80	20
Nagaland	80	20
Mizoram	90	10

For reserved category locations, in case of 'Nil' response to the advertisement or no eligible candidate is found or no candidate qualifies or no selected candidate is able to commission RGGLV, then that location would be re-advertised under 'Open' category.

3. Mode of Selection of Distributors

Selection will be done by inviting applications through advertisements in 2 vernacular newspapers – one with widest circulation in the State and other with widest circulation in District in which RGGLV is to be setup.

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) चयन संबंधी ब्रोशर

1. राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आरजीजीएलवीवाय)

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) स्थापित करने के लिए कार्यस्थलों की पहचान 14.2 किग्रा के 600 एलपीजी सिलिंडरों की औसत मासिक बिक्री की संभाव्यता और 5 किग्रा प्रति माही प्रति व्यक्ति उपभोग के 1800 ग्राहकों के आधार पर की जाती है। रिफिल बिक्री संभाव्यता का निर्धारण जनसंख्या, जनसंख्या बढत दर, कार्यस्थल की अर्थव्यवस्था संपन्नता और वर्तमान नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से दूरी पर आधारित होता है।

पहचाने गए कार्यस्थल पर आरजीजीएलवी स्थापित करना कारोबारी प्रस्थापा है जिसमें सामान्य जोखिम होते हैं और निश्चित प्राप्ति और मुनाफे या रिफिल बिक्री की प्रमात्रा की गारंटी नहीं देता है। यह निहायत जरूरी है कि राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक के मालिक स्वयं प्रचालन करे और यदि जरूरी हो तो मदद के लिए कर्मचारी या किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखे।

2. राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक

अरुणांचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार है

क	खुली श्रेणी (O)	50%
ख	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति (SC/ST)	25%
ग	संयुक्त श्रेणी (CC) जिसमें रक्षा कर्मी (DP), अर्ध सैनिक/पुलिस /सरकारी कर्मी (PMP)शारिरिक रूप से अपंग कर्मी (PH) उत्कृष्ट खिलाफी व्यक्ति (OSP)	सभी को साथ मिलाकर DP/PMP/PH/OSP के लिए 25%

उपर्युक्त अनुसार आरक्षण प्रतिशत हासिल करने के लिए उद्योग आधार (अर्थात संयुक्त रूप से आइओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) द्वारा राज्यवार '100 अंक' रोस्टर रखा जाए। उस राज्य की जनसंख्या अनुपात के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बीच वितरण किया जाएगा।

अरुणांचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के उत्तर पूर्वी राज्यों के जन जाति क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक का आरक्षण इस प्रकार है।

राज्य	अनुसूचित जाति श्रेणी को दी जानेवाली आरजीजीएलवी का प्रतिशत	शेष % खुली श्रेणी को दिया जाए
अरुणांचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैंड	80	20
मिजोरम	90	10

आरक्षित क्षेणी कार्यस्थलों के लिए, यदि विज्ञापन में 'शून्य' प्रतिसाद मिलता है या कोई पात्र उम्मीदवार नहीं मिलता है या उम्मीदवार पात्र नहीं होता है या चयनित उम्मीदवार आरजीजीएलवी चला नहीं पाता है तो कार्यस्थल को 'खुली श्रेणी' का पुनः विज्ञापित किया जाएगा।

Selection will be done by draw of lots out of all eligible applicants securing minimum qualifying marks (Minimum qualifying marks is 60% for locations reserved under SC/ST category and minimum 80% marks for all other category locations).

Only Individual applicants would be eligible. However, all RGGLVs will be in the joint names of applicant and his/her spouse (i.e wife/husband will be co-owner of RGGLVs). In case, the applicant is unmarried/divorcee/widow/widower, an undertaking will be required to be given that after marriage/re-marriage, spouse will be made co-owner. There will be no educational qualification requirement for spouse. . Co-owner means spouse will be 50% partner in RGGLV.

4. Common Eligibility Criteria for all Categories:

Applicant applying for RGGLV should

- (a) be an Indian citizen
- (b) be a resident of the town /village(s) of the advertised RGGLV location
- (c) have passed minimum Xth Standard examination or equivalent from recognized Board
- (d) be not less than 21 years and not more than 45 years in age as on the date of application
- (e) fulfil Multiple dealership/distributorship norm

Multiple Dealership/Distributorship norms means that the applicant or any other member of 'family unit' should not hold a dealership/distributorship/RGGLV or Letter of Intent (LOI) for a dealership/distributorship/RGGLV of a PSU Oil Company i.e only one Retail Outlet / SKO-LDO dealership / LPG distributorship/RGGLV of PSU Oil Company will be allowed to a 'Family Unit'.

'Family Unit' in case of married person/ applicant, shall consist of individual concerned, his/her Spouse and their unmarried son(s)/daughter(s). In case of unmarried person/ applicant, 'Family Unit' shall consist of individual concerned, his/her parents and his/her unmarried brother(s) and unmarried sister(s). In case of divorcee, 'Family Unit' shall consist of individual concerned, unmarried son(s)/unmarried daughter(s) whose custody is given to him/her. In case of widow/widower, 'Family Unit' shall consist of individual concerned, unmarried son(s)/unmarried daughter(s).

- (f) have minimum total amount of Rs 2 lakhs put together from Saving accounts in Bank (as on date of application), free and un-encumbered fixed deposits in scheduled banks, Kisan Vikas Patra, NSC, bonds, any other investment, etc in the name of self or family members of the 'Family Unit' as defined above. (In case of RGGLV locations reserved under 'SC/ST' category, applicants with less than Rs 2 lakhs are also eligible also apply). For evaluation purpose, marks will be awarded to applicants of all categories based on the amount mentioned in the application.
- (g) own a suitable land (plot) of minimum 20 metre X 24 metre in dimension at the advertised RGGLV location for construction of LPG cylinder Storage Godown .

Own means having clear ownership title of the property in the name of applicant / family member of the 'Family Unit' as defined in multiple dealership/distributorship norm. In case of ownership/co-ownership by family member, consent letter from the family member will be required.

Land for construction of Godown will be considered suitable, if it is freely accessible through all weather motorable approach road (public road or private road of the applicant connecting to the public road) and should be plain, in one contiguous plot, free from live overhead power transmission or telephone lines. Pipelines / Canals / Drainage / Nallahs should not be passing through the plot.

3. डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन का साधन

2 स्थानीय अखबारों - एक जो राज्य में सबसे अधिक पढा जाता हो और दूसरा उस जिले में सबसे अधिक पढा जाता है जहाँ आरजीजीएलवी स्थापित किया जाना हो, में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित कर चयन किया जाएगा।

न्यूनतम पात्रता अंक पाने वाले योग्य आवेदकों का पर्ची निकालकर चयन किया जाएगा (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित कार्यस्थलों के लिए न्यूनतम पात्रता अंक 60% और अन्य श्रेणी कार्यस्थलों के लिए न्यूनतम अंक 80% हैं)

केवल वैयक्तिक आवेदक पात्र होंगे। तथापि, सभी आरजीजीएलवी आवेदक और उसके जीवनसाथी के संयुक्त नामों में होंगे (अर्थात् पति/पत्नी आरजीजीएलवी के सह मालिक होंगे)। यदि आवेदक अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा/विधुर है तो शपथ पत्र दिया कि विवाह/पुनर्विवाह के बाद जीवनसाथी को सह मालिक बनाया जाएगा। जीवनसाथी के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। सह मालिक का अर्थ है आरजीजीएलवी में 50% भागीदारी

4. सभी श्रेणियों के लिए सामान्य पात्रता:

आरजीजीएलवी के लिए आवेदन करनेवाले आवेदक को

- क. भारतीय नागरिक होना चाहिए
- ख. आरजीजीएलवी के विज्ञापित कार्यस्थल के शहर/गांव का निवासी हो
- ग. कम से कम दसवीं कक्षा की परीक्षा या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो
- घ. आवेदन की तारीख को 21 वर्षों से कम या 45 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ङ. बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानक पूर्ण करने चाहिए।

बहु डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों का अर्थ है जिस व्यक्ति के 'परिवार इकाई' का कोई सदस्य पहले से कोई तेल कंपनी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी या इसके आशय पत्र धारक नहीं होना चाहिए अर्थात् एक 'परिवार इकाई' को सार्वजनिक तेल कंपनी की मात्र एक रिटेल आउटलेट/केरोसीन-डीज़ल डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी दी जाएगी।

विवाहित व्यक्ति /आवेदक के मामले में परिवार इकाई में स्वयं व्यक्ति, उसका पति/पत्नी , और उनके अविवाहित बेटा (बेटे)/बेटी (बेटियां) शामिल होंगी। अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में "परिवार इकाई" में स्वयं व्यक्ति, उसके माता/पिता और उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन (बहनें) शामिल हैं। तलाकशुदा के मामले में 'परिवार इकाई' में वह स्वयं, अविवाहित बेटा(बेटे), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) जिसकी कस्टडी उन्हें दी गई है हो।विधवा/विधुर के मामले में 'परिवार इकाई' में वह स्वयं, अविवाहित बेटा(बेटे) अविवाहित बेटी(बेटियां) होंगी।

- च. बैंक के बचत खाते में (आवेदन की तारीख को), या अनुसूचित जाति बैंक, किसान पत्र, एनएससी बॉन्ड के किसी अन्य निवेश इत्यादि में स्वयं/उपर्युक्त के अनुसार 'परिवार इकाई' के परिवार सदस्यों के नाम मुक्त और भार रहित सावधि जमा के रूप में कम से कम रु. 2 लाख की न्यूनतम कुल रकम होनी चाहिए। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी के

- (h) be physically and mentally sound to be able to run the business
- (i) neither have been convicted nor charges been framed by any Court of Law for any criminal offence involving moral turpitude/ economic offences.
- (j) not be a signatory to distributorship/dealerships agreement, terminated on account of proven cases of malpractice/adulteration of any Oil Company.

5. Specific Eligibility Criteria for Different Categories:

a. Open Category (O)

Candidate fulfilling common eligibility criteria can apply under 'Open' category.

b. Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Category (SC/ST):

The candidates belonging to castes/tribes recognised as Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (SC/ST) under the Constitution of India will be eligible.

The candidates will be required to submit along with application a certificate issued by the competent authority notified by the Government of India certifying that the candidate belongs to Scheduled Caste /Scheduled Tribe.

c. Combined Category (CC)

Applicants belonging to any of the following categories can apply for RGGLV under 'Combined Category'.

I Defence Personnel Category (DP):

Defence Personnel means personnel of armed forces (viz. Army, Navy, Airforce) and will cover widows /dependents of those who died in war, war disabled/ disabled on duty, widows / dependent of those members of Armed Forces who died in harness due to attributable causes and disabled in peace due to attributable causes.

Candidate applying under this Category should produce Eligibility Certificate issued from Directorate General of Resettlement (DGR), Ministry of Defence, and Government of India sponsoring the candidate for the RGGLV for which he/she has applied. Certificate of eligibility issued for one RGGLV is not valid for another RGGLV and therefore a candidate can be considered to be eligible only if he/she has been sponsored for the particular location with reference to current advertisement

II Paramilitary/ Police/ Government Personnel Category (PMP):

The personnel of Paramilitary/Police including persons having served in BSF, CRPF, CISF, ITBP, Railway Protection Force, Special Reserved Police, Special Armed Police, Coast Guards, Assam Rifles etc. as designated by Central Government and Police Forces of the States, Customs and Central Excise Department, Narcotics Control Bureau, Enforcement Directorate, Economic Intelligence Bureau, Directorate General of Anti-Evasion and Directorate of Revenue Intelligence and those serving in different Departments of Central/State Governments who are incapacitated or disabled while performing their duties will be eligible under this category. In case of death, while performing duties, their widows/ dependants will also be eligible under this category.

Candidate applying under this category should attach a copy of relevant certificate from the concerned Organisation/Govt Department signed by the Head of the Office or an Officer not below the rank of Under Secretary to the Government.

अंतर्गत आरक्षित आरजीजीएलवी कार्यस्थलों के मामलों में रु. 2 लाख से कम होने पर भी पात्र होंगे) मूल्यांकन के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन में दी गई रकम के आधार पर सभी श्रेणी के आवेदकों को अंक दिए जाएंगे

- छ. एलपीजी सिलिंडर भंडारण गोदाम के निर्माण के लिए विज्ञापित कार्यस्थल में कम से कम 20 मीटर X 24 मीटर का स्वयं का भूखंड (प्लॉट) होना चाहिए।

स्वयं का भूखंड का अर्थ है आवेदक/“परिवार इकाई” के सदस्य, जैसा कि बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में व्याख्या की गई है, के नाम पर संपत्ति का मालिकाना अधिकार टाइटल हो। परिवार सदस्य के मलिकयत/सह मलिकयत के मामलों में परिवार सदस्य से सहमति पत्र की जरूरत होगी।

गोदाम का निर्माण करने के लिए ऐसा गोदाम / भूमि उपयुक्त होगी, जहाँ हर मौसम में वहाँ तक पहुँच पाना आसान हो। इसका प्लॉट सपाट/समतल के साथ एक ही भाग में हो, छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित न हो। इसके ऊपर कोई विद्युत संचारण या टेलीफोन की तारें न हों। प्लॉट में से पाइपलाइने/नहर/जलनिकास/नाला/सार्वजनिक सड़क नहीं गुजरनी चाहिए

- ज. शारिरिक और मानसिक रूप से सुलझा हुआ हो और कारोबार चलाने में सक्षम हो
- झ. नैतिक पतन / आर्थिक अपराधों से जुड़े आपराधिक मामले के लिए न्यायालय द्वारा आरोपित व्यक्ति न हो।
- ञ. किसी भी तेल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप के एग्रीमेंट के हस्ताक्षरकर्ता जिसे कदाचार/मिलावट किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है।

5. विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड

क. खुली श्रेणी (O)

सामान्य पात्रता मापदंड पूर्ण करनेवाले उम्मीदवार 'खुली श्रेणी' के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (SC/ST):

भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यताप्राप्त जातियां/जन जातियां योग्य होंगी।

उम्मीदवार को उचित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो भारत के संविधान के तहत जाति/जनजाति को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त साबित करता हो और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

ग. संयुक्त श्रेणी (CC)

निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक आरजीजीएलवी के अंतर्गत 'संयुक्त श्रेणी' के आवेदन कर सकते हैं: .

रक्षा कार्मिक श्रेणी (DP):

III Physically Handicapped Category (PH) :

Candidates would be considered eligible under this category in case the candidates are orthopaedically handicapped to the extent of minimum of 40% permanent (partial) disability of either upper or lower limbs; or 50% permanent (partial) disability of both upper and lower limbs together. For this purpose, the standards contained in the 'Manual for Orthopaedic Surgeon in evaluating Permanent Physically Impairment' brought out by the American Academy of Orthopaedic Surgeons, USA and published on its behalf by the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, G.T. Road, Kanpur, shall apply.

Deaf, Dumb and Blind persons with minimum degree of 40% disability will also be eligible to apply for all RGGLVs/dealership under this category. However, totally blind persons will not be eligible.

Candidate applying under this category should produce a certificate (*as per the standard format given the application format*) issued by a Medical Board duly constituted by the Central / State Government as per the Gazette of India Extraordinary New Delhi, No 154 dated June 13, 2001 on Guidelines for evaluation of various disabilities and procedure for certification.

IV Outstanding Sports Persons Category (OSP):

The following persons will be eligible:

- (i) Arjuna / Khel Ratna Awardees.
- (ii) Winners of Medals at Olympics/ Asian /Commonwealth Games and Recognised World Champions/ World Championships.
- (iii) National Champions (First *position*) under the Recognised National Championships.
- (iv) National Adventure Awardees.

Candidate applying under this category should produce a certificate from the Recognised National Federation Organising National Championships (as recognised by Department of Youth Affairs and Sports, Govt of India) or from the Dept of Youth Affairs and Sports, Govt of India.

6. Personal Supervision by Distributors (for All Categories)

A person selected for RGGLV should personally manage the operation of RGGLV. He/she will not be eligible for taking up any other employment. If the selected person is already employed he/she will have to resign from the employment and produce the letter of acceptance of resignation by the employer before the issuance of Letter of Appointment by the Oil Company.

7. Basic Facilities Required for Operation of RGGLV

RGGLV would require a storage Godown approved and licensed by Chief Controller of Explosives of Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) for storage of LPG in cylinders. A showroom of the dimensions 2.6 m X 3 m can be constructed near the Godown or in an existing nearby shop.

For construction of Godown, land should be of Minimum Dimensions 20 metre X 24 metre. It should be freely accessible through all weather motorable approach road (public road or private road of the applicant connecting to the public road) and should be plain, in one contiguous plot, free from live overhead power transmission or telephone lines. Canals / Drainage / Nallahs should not be passing through the plot

RGGLV will not be required to deliver LPG cylinders at the residence of the customers. LPG cylinders will be given to the customers from the authorised licensed LPG Godown at the Retail Selling Price (RSP).

रक्षा कर्मी का अर्थ है सशस्त्र बल (अर्थात सेना, नौसेना, वायुसेना) और इसमें युद्ध के दौरान हुए शहीदों की विधवा/आश्रित, युद्ध में हुए विकलांग / कार्य में दौरान हुए विकलांग, सशस्त्र बल ऐसे सदस्यों, जो उत्पन्न कारणों से आखरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए हों या उत्पन्न कारणों से शांतिकाल में अक्षम हो गए हों, उनकी विधवाएं / आश्रित.

रक्षा कर्मी (डीसी) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करनेवाले व्यक्ति को पुनःस्थापन महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार से जारी योग्यता प्रमाणपत्र जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करनेवाले उम्मीदवार को प्रायोजित कर रहे हैं प्रस्तुत करना होगा। एक आरजीजीएलवी के लिए जारी योग्यता प्रमाणपत्र दूसरे आरजीजीएलवी के लिए वैध नहीं होगा अतः उम्मीदवार को तभी योग्य माना जाएगा यदि वह वर्तमान विज्ञापन के संदर्भ में विशिष्ट स्थल के लिए प्रायोजित किया गया होगा।

I अर्धसैनिक /पुलिस/सरकारी कर्मी (PMP)

अर्धसैनिक/पुलिस कर्मी और राज्य के पुलिस बल और केन्द्रीय सरकार, कस्टम एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, महानिदेशालय - एंटी इवेशन, और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पदनामित बीएसएफ,सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी, रेलवे सुरक्षा बल, विशेष आरक्षित पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, तटीय गार्ड, आसाम राइफल इत्यादि में सेवारत व्यक्ति और केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्य कर रहे व्यक्ति जो अपनी इयूटी के दौरान अक्षम या अपंग हुए हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत योग्य होंगे। इयूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनकी विधवाओ/आश्रितों को भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र माना जाएगा ।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करनेवाले उम्मीदवार को संबंधित संगठन / सरकारी विभाग से उपयुक्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी जिसपर कार्यालय प्रमुख या सरकारी अवर सचिव से ऊपर की श्रेणी के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

II शारिरिक रूप से अपंग श्रेणी (PH) :

व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो जिसमें ऊपरी या निचले अंग के कम से कम 40% स्थायी/आंशिक रूप से असमर्थ हो या ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से के 50% स्थायी/आंशिक अंग एक साथ असमर्थ हों। इसमें अमेरिकन एकेडेमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूएसए में सम्मिलित और उनकी तरफ से आरटीफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी.टी. रोड, कानपुर द्वारा प्रकाशित मानक लागू होंगे।

40% असमर्थता की कम से कम डिग्री के मूक, बधिर और नेत्रहीन व्यक्ति भी इस श्रेणी के सभी आरजीजीएलवी/डीलरशिप के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। तथापि, पूर्णतः नेत्रहीन व्यक्ति योग्य नहीं होंगे ।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों को चिकित्सा मंडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र (संलग्न आवेदन फॉर्म के अनुसार) जो केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभिन्न अपंगताओं के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के लिए मार्गदर्शी निर्देशों संबंधी भारतीय राजपत्र, नई दिल्ली क्र.154 दिनांक जून 13, 2001 के अनुसार हो।

III उत्कृष्ट खेलकूद खिलाडी (OSP)

8. Construction Of Godown/Showroom

In case selected candidate for any reason is unable to construct LPG Godown duly approved by the Chief Controller of Explosives and Showroom as per the Oil Company's standard layout then the allotment of RGGLV made to the applicant will automatically stand cancelled.

9. Scheme Of Financial Assistance To SC/ST Category Distributorships Under 'Corpus Fund' Scheme

Candidate Selected for RGGLV locations reserved under SC/ST category will be provided a secured loan of Rs. One Lakh for construction of Godown/other facilities by the concerned OMC. This amount will be recovered on per refill basis at the rate of 20% of distributor's commission for 14.2 kg cylinders as per policy.

For RGGLV locations reserved under SC/ST category, the concerned Oil Company will provide adequate working capital loan for operation of the RGGLV at an interest rate of 11% per annum on reducing balance. Both, the working capital loan as well as interest will be recovered in 100 equal monthly instalments from 13th month of commissioning of the RGGLV.

10. Application Form

Application form for RGGLV is a part of the advertisement published in the newspapers. The application format can also be downloaded from the websites www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in and www.hindustanpetroleum.com

- The application can be submitted on plain paper in the prescribed format as mentioned above.
- Application Processing Fee: (non refundable) - Rs.1000/- (Rs.500/- in respect of SC/ST candidates).
- All applicants are requested to take note that they are requested to go through the conditions mentioned in the application form as well as the advertisement to ensure that all the relevant conditions are fulfilled as stipulated in the said application form.

11. Evaluation Criteria

All the applicants satisfying the eligibility criteria will be evaluated out of total 100 marks based on information given in the application. Evaluation Criteria will be based on marking system with 50 marks for financial capability, 10 marks for income and 40 marks for educational qualification. Details of marking system are as under: -

1. Criteria for award of marks on Financial Capability (max 50 marks)

Sub Head	Description	Max Marks	Evaluation
1A Savings bank/ investments	(a) Amount in Saving accounts in Bank. (as on date of application) (b) Free and un-encumbered fixed deposits in scheduled banks or any other resource which can be readily converted to liquid cash (as on date of advertisement)	50	Marks to be awarded based on (FD / NSCs / Shares / any other investment bonds in the name of self or family members as defined above under relationship clause) Award 1 marks on every unit of Rs.8000/- or more in multiples of Rs.8000/-

निम्नलिखित व्यक्ति योग्य हैं :

- क.) अर्जुन पुरस्कार /खेल रत्न प्राप्तकर्ता ।
- ख.) आलिंपिक/एशियन/कॉमनवेल्थ खेल और मान्यताप्राप्त विश्व चैम्पियनशिप में मेडल विजेता या विश्व चैम्पियन।
- ग.) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के अंतर्गत राष्ट्रीय चैम्पियन(प्रथम स्थान)
- घ.) राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता

आवेदन करनेवाले उम्मीदवार को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन करनेवाले (खेलकूद एवं युवा मामलों के विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त) या खेलकूद एवं युवा मामलों के विभाग, भारत सरकार से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण (सभी श्रेणियों के लिए):

आरजीजीएलवी के लिए चुने गए व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के दैनंदिन कार्यकलापों पर पूरा ध्यान देना होगा और डिस्ट्रीब्यूटरशिप संबंधी सभी मामलों को स्वयं देखना होगा । वह कोई और रोजगार नहीं अपना सकता। यदि चयनित व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो तेल कंपनी से नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा और मालिक द्वारा प्रदान किया गया 'इस्तीफा स्वीकृति' देना होगा ।

7. आरजीजीएलवी के प्रचालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं

आरजीजीएलवी को भंडारण गोदाम की आवश्यकता होगी जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक - पेट्रोलियम विस्फोट एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा एलपीजी सिलिंडर के भंडारण के लिए अनुमोदित और लाइसेंसीकृत हो । गोदाम के नजदीक या करीबी दुकान में 2.6 एम x 3 एम माप के शोरूम का निर्माण किया जाएगा

गोदाम का निर्माण करने के लिए न्यूनतम 20 मीटरX24 मीटर मापक भूखंड होना चाहिए हो, सड़क मार्ग से हर मौसम में वहाँ तक पहुँच पाना आसान हो। इसका प्लॉट सपाट/समतल के साथ एक ही भाग में हो, छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित न हो । इसके आसपास/ऊपरकोई विद्युत संचारण या टेलीफोन की तारें न हों। प्लॉट में से पाइपलाइने/नहर/जलनिकास/नाला/सार्वजनिक सड़क नहीं गुजरनी चाहिए ।

आरजीजीएलवी को ग्राहकों के आवास तक एलपीजी सिलिंडर पहुँचाने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को प्राधिकृत लाइसेंसी एलपीजी गोदाम से रिटेल बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर एलपीजी सिलिंडर दिए जाएंगे

8. गोदाम/शोरूम का निर्माण

यदि किन्हीं कारणों से चयनित उम्मीदवार मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित शोरूम और तेल कंपनी के मानक नक्शे के अनुसार गोदाम का निर्माण नहीं कर पाता है, तब आवेदक का आरजीजीएलवी आबंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा

9. 'कॉर्पस फंड' के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वित्तीय सहायता योजना :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आरक्षित आरजीजीएलवी कार्यस्थलों के लिए चयनित उम्मीदवारों को संबंधित तेल कंपनी द्वारा गोदाम/अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए रु. 1 लाख का सुरक्षित लोन प्रदान किया जाएगा। यह रकम नीति के अनुसार 14.2किग्रा सिलिंडरों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन से प्रति रिफिल आधार पर 20 प्रतिशत की दर पर वसूल की जाएगी।

Sub Head	Description	Max Marks	Evaluation								
1B Ability to arrange loan	(c) Bankers / Financial institution letter to extend loan, if required. (as on date of application)	10	Marks to be awarded on the basis of letter from bankers/ financial institutions as under: - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Range of loan Rs.</th> <th>Marks to be awarded</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> =1 lakhs to < 2 lakhs</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>> =2 lakhs to < 3 lakhs</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>> = 3 lakhs to < 4 lakhs</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Range of loan Rs.	Marks to be awarded	> =1 lakhs to < 2 lakhs	8	> =2 lakhs to < 3 lakhs	9	> = 3 lakhs to < 4 lakhs	10
Range of loan Rs.	Marks to be awarded										
> =1 lakhs to < 2 lakhs	8										
> =2 lakhs to < 3 lakhs	9										
> = 3 lakhs to < 4 lakhs	10										
1C Assets	(d) Other assets (as on date of advertisement)	5	Marks to be awarded as under, based on valuation by Govt. approved value of immovable property/other assets <table border="1"> <thead> <tr> <th>Range of assets value</th> <th>Marks to be awarded</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>= 2 lakhs < 3 lakhs</td> <td>3 marks</td> </tr> <tr> <td>>= 3 lakhs < 4 lakhs</td> <td>4 marks</td> </tr> <tr> <td>>= 4 lakhs</td> <td>5 marks</td> </tr> </tbody> </table>	Range of assets value	Marks to be awarded	>= 2 lakhs < 3 lakhs	3 marks	>= 3 lakhs < 4 lakhs	4 marks	>= 4 lakhs	5 marks
Range of assets value	Marks to be awarded										
>= 2 lakhs < 3 lakhs	3 marks										
>= 3 lakhs < 4 lakhs	4 marks										
>= 4 lakhs	5 marks										
Maximum marks		50									

Maximum 50 marks put together for savings bank / investment, ability to arrange loan and assets. In case candidate gets 50 marks in 1A above then no evaluation to be done for 1B and 1C.

2. Criteria for award of marks on present income (max 10 marks)

Income	Income form all sources such as property, business, agricultural, interest, dividend, rent earnings, royalty etc. per annum.	10	Income for the last financial year as per income tax return and or affidavit on income Maximum Marks 10. Award 0.1 marks on every unit of Rs.1000/- or more in multiples of Rs.1000/-
Maximum marks		10	

3. Criteria for award of marks on education qualification (max 40 marks)

Description of Qualification	Marks	Evaluation
Graduate or more	40	Based on the qualification.
Senior Secondary i.e (10+2) CBSE or equivalent from recognised Board	35	
Matriculation - Xth Standard examination or equivalent from recognized Board	32	
Maximum marks	40	

Applicant should score minimum 60% marks for LPG Distributorships reserved under SC/ST category and score minimum 80% marks for others categories to qualify for award of RGGLV.

12. Selection Process

- 12.1. A Committee consisting of two Officers of the concerned Oil Company will do scrutiny of the application and award marks to the applicants based on the information given in the application

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आरक्षित आरजीजीएलवी कार्यस्थलों को संबंधित तेल कंपनी द्वारा आरजीजीएलवी के सुचारु प्रचालन के लिए घट रही शेष रकम पर 11 प्रतिशत प्रति साल की ब्याज दर पर पर्याप्त क्रियाशील पूंजी दी जाएगी। क्रियाशील पूंजी और ब्याज की रकम की वसूली आरजीजीएलवी के आरंभ होने से 13 वे महीने से शुरू की जाएगी। (150 चालू मासिक किस्तों में)

10. आवेदन फॉर्म

आरजीजीएलवी का आवेदन फॉर्म अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन का एक भाग है। आवेदन का मसौदा हमारी वेबसाइट www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in और www.hindustanpetroleum.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

- क.) उपर्युक्त अनुसार, निर्धारित मसौदे में सादे कागज़ पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
 ख.) आवेदन शुल्क : (अप्रतिदेय) – ₹.1000/- (अ.ज/अनु.जन.जा. उम्मीदवारों के लिए ₹.500/-)
 ग.) सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे कि वे आवेदन फॉर्म और विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ले और सुनिश्चित कर लें कि कथित आवेदन फॉर्म में दी गई सभी शर्तें पूर्ण की गई हैं।

11. मूल्यांकन मापदंड

पात्रता मापदंड पूर्ण करनेवाले सभी आवेदकों को, आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर कुल 100 अंकों से मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन मापदंड मार्किंग प्रणाली के आधार पर वित्तीय क्षमता के लिए 50 अंक, आय के लिए 10 अंक, शैक्षणिक योग्यता के लिए 40 अंक पर आधारित होगा। मार्किंग सिस्टम का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. वित्तीय क्षमता के लिए अंक प्रदान करने का मापदंड (अधिकतम 50 अंक)

उप शीर्ष	विवरण	अधि.अंक	मूल्यांकन
1क. बचत बैंक/निवेश	(क) बैंक के बचत खाते में रकम. (आवेदन की तारीख को) (ख) अनुसूचित बैंक में या किसी अन्य स्रोत से सावधि जमा या कोई और स्रोत से मुक्त एवं भार रहित जिसे आसानी से नकदीकृत किया जा सके (विज्ञापन की तारीख को)	50	(स्वयं या परिवार के सदस्य के नाम जैसा कि उपर रिशतों के खंड में व्याखित है एफडी/एनएससी/शेयर या किसी अन्य स्रोत) के आधार पर अंक दिए जाएंगे। ₹.8000/- के हर युनिट पर या ₹.8000 के गुणल में अधिक के लिए 1 अंक दिया जाए
1ख ऋण की व्यवस्था करने की क्षमता	(ग) यदि जरूरी हो तो बैंकर/वित्तीय संस्था का ऋण प्रदान करने के लिए पत्र (आवेदन की तारीख को)	10	बैंकर/वित्तीय संस्था से पत्र के आधार पर निम्नानुसार अंक दिए जाएं दिए जानेवाले ऋण श्रेणी ₹. अंक > =1 लाख से< 2 लाख 8 > =2 लाख से< 3 lakhs 9 > =3 लाख से< 4 लाख 10

- 12.2. Selection will be done by draw of lot out of all eligible applicants securing minimum qualifying marks. Minimum qualifying marks is 60% for locations reserved under SC/ST category and minimum 80% marks for all other category locations
- 12.3. The list of ineligible applicants, eligible but not qualified applicants and qualified applicants for draw of lot will be made available on the notice board of the concerned office of the Oil Company as well as on the website of the concerned Oil Company.
- 12.4. All the applicants will be individually informed about the status of their application. Ineligible and eligible but not qualified applicants can representations within 15 days from the date of the letter.
- 12.5. Efforts would be made by Oil Company to ensure that all the representation/complaints are disposed off within 3 months.
- 12.6. After disposal of representations/complaints if any, all the eligible candidates who have qualified will be asked to report at a specified place on specified date and time for draw of lot. The same will be notified in the local newspapers. Each qualified candidate will be issued a token number and this token number will be recorded on his/ her application.
- 12.7. All token numbers will be put in an empty box in the presence of the candidates, the officials of the Company and the invited guest from amongst the local MP, MLA, Zilla Parishad, Panchayat Samiti Chairman, Sarpanch, Revenue officials etc. However, a quorum comprising of at least 50% of the candidates (whose names are there in the draw) and the concerned company officials could be sufficient to proceed with the draw of lots. The proceeding of the draw will be video graphed
- 12.8. One token number will be drawn out and the candidate to whom the token number was allotted will be declared as selected candidate.
- 12.9. Field verification will be carried out for the selected candidate and if the information given in the application by the applicant is found to be correct, Letter of Intent will be issued to the selected candidate.
- 12.10. In case of rejection of selected candidate due to findings in the Field Investigation or if selected candidate is unable to develop facilities for Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitarak within the specified time, then his candidature will be cancelled and draw will be held again from the remaining qualified eligible candidates to select the next candidate following the procedure as mentioned above in para 12.3 to 12.6

13. Commissioning of RGGLV

Selected candidate who has been given the 'Letter of Intent' (LOI) would be required to fulfil the terms and conditions as contained therein, so as to commission the RGGLV within the stipulated time period. Before commissioning, Letter of Appointment will be given and an agreement shall be executed. The duration of the agreement will be initially for five years, renewable for every five years thereafter, subject to the examination of the performance

14. Security Deposit

The selected candidate before being issued the appointment letter shall have to deposit interest free refundable security deposit of Rs. 2 lakhs with the concerned OMC. The Concerned OMC will have the right to adjust any dues to it from this amount at the time of resignation/ termination. However, in case of termination of the RGGLV on account of proven malpractice, the said security deposit shall be forfeited.

उप शीर्ष	विवरण	अधि.अंक	मूल्यांकन
1ग परिसंपत्तियां	(घ) अन्य परिसंपत्तियां (विज्ञापन की तारीख को)	5	सरकार के अचल संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों के लिए अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएं
			परिसंपत्ति मूल्य श्रेणी
			दिए जानेवाले अंक
			>= 2 लाख < 3 लाख
			3 अंक
			>= 3 लाख < 4 लाख
			4 अंक
			>= 4 लाख
			5 अंक
अधिकतम अंक		50	

बचत खाता/निवेश, ऋण, की व्यवस्था करने की क्षमता और परिसंपत्ति को मिलकर अधिकतम 50 अंक। यदि उम्मीदवार को उपर्युक्त 1 ए में 50 अंक मिलते हैं तो 1बी और 1सी के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया जाए

2. वर्तमान आय (अधिकतम 10 अंक) पर अंक देने का मापदंड

आय	प्रित वर्ष संपत्ति, व्यवसाय, कृषि, ब्याज, लाभांश, किराया, रॉयल्टी इत्यादि सभी स्रोतों से आय	10	आयकर विवरणी या आय पर शपथपत्र के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की आय। अधिकतम 10 अंक। रू.1000/- की हर युनिट या अधिक पर 0.1 अंक (रू.1000/- के गुणज)
अधिकतम अंक		10	

3. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक प्रदान करने का मापदंड (अधिकतम 40 अंक)

शैक्षणिक विवरण	अंक	मूल्यांकन
स्नातक या अधिक	40	शैक्षणिक योग्यता के आधार पर.
उच्च माध्यमिक अर्थात (10+2) सीबीएससी या मान्यताप्राप्त बोर्ड से समकक्ष शिक्षण	35	
दसवी - X वीं कक्षा की परीक्षा या मान्यताप्राप्त बोर्ड से समकक्ष	32	
अधिकतम अंक	40	

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदक को कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे और आरजीजीएलवी के लिए पात्रता हेतु अन्य श्रेणियों में कम से कम 80% अंक प्राप्त करने होंगे

12. चयन प्रक्रिया

- 12.1. संबंधित तेल कंपनी की दो सदस्यों वाली समिति द्वारा आवेदन की संवीक्षा की जाएगी और आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आवेदकों को अंक दिए जाएंगे।
- 12.2. न्यूनतम अंक पानेवाले सभी योग्य आवेदकों का पर्ची निकालकर चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित कार्यस्थलों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% हैं और अन्य श्रेणी के कार्यस्थलों के लिए न्यूनतम 80% अंक।

15. Grievance /Complaint Redressal System:

Any complaint received against the selection of RGGLV as mentioned in para 12.4 will be disposed off as under:-

- 15.1. Anonymous complaints will normally not be investigated.
- 15.2. On receipt of a complaint a letter will be sent by the oil company to the complainant through Registered Post, asking him to submit details of allegation with a view to prima facie substantiate the allegations along with supporting documents, if any, within 30 days. While seeking documents and details, the complainant will be advised that if during the investigations complaint is found to be false and/or without substance the Oil Company reserves the right to take action against the complainant as provided under the law.
- 15.3. The concerned Oil Company will examine response of the complainant and if it is found that the complaint does not have specific and verifiable allegations, the same will be filed.
- 15.4. If a decision is taken to investigate the complaint, one Senior Officer will do the investigation. Thereafter, decision on the complaint will be taken as under:-

15.4.1.1. Complaints not substantiated:

The complaint will be filed and the complainant will be advised accordingly.

15.4.1.2. Established complaint

In case of established complaint, the complainant will be advised accordingly and the concerned Oil Company will take suitable corrective action.

16. Furnishing of False Information

If any information furnished by the applicant is found to be false at any point of time before or after appointment as a RGGLV, the allotment shall be cancelled forthwith and RGGLV terminated in case commissioned

17. General Notice

- 17.1. Applicants to note that the RGGLVs are proposed based on an estimated refill potential of 600 refills per month and 1800 LPG connections. To be economically viable, RGGLV has to be operated by the proprietor himself. Applicants should satisfy themselves on the viability of the business.
- 17.2. The details provided in this brochure are only for the information and the oil company reserves the right to amend, modify, delete or add any terms and conditions at their sole discretion. The applicant shall be governed by the terms and conditions published in the advertisement for the location against which he/she is applying.
- 17.3. The content given in this brochure should not be considered as policy document and cannot be legally quoted. Oil company shall be the final authority for giving any clarification or interpretation on the contents given in this brochure, if need be and at its own discretion. Oil Company cannot be held responsible for any loss or damage or consequences from misunderstanding or misinterpretation of the contents in this brochure. The Corporation may revise the contents of this brochure from time to time without giving any notice.

- 12.3. पर्ची द्वारा चयन करने के लिए अपात्र आवेदकों, योग्य लेकिन अपात्र आवेदकों और पात्र योग्य आवेदकों की सूची तेल कंपनी के संबंधित कार्यालय के सूचना फलक पर और संबंधित तेल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12.4. सभी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। अपात्र और पात्र लेकिन अयोग्य आवेदक पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन कर सकते हैं।
- 12.5. तेल कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास होगा कि सभी अभ्यावेदन/शिकायतों का 3 महीनों के भीतर निपटान हो जाए।
- 12.6. अभ्यावेदनों/शिकायतों का यदि हों तो, निपटान करने के बाद, सभी योग्य उम्मीदवार जो पात्र हैं को पर्ची निकालने की निर्धारित तारीख और समय पर निर्दिष्ट स्थान पर रिपोर्ट करने की सूचना दी जाएगी। इसे स्थानीय अखबारों में अधिसूचित किया जाएगा। प्रत्येक पात्र उम्मीदवार को एक टोकन नंबर दिया जाएगा और इस टोकन नंबर को उसके आवेदन पर दर्ज किया जाए।
- 12.7. सभी टोकन नंबर उम्मीदवारों, कंपनी के अधिकारियों एवं स्थानीय संसद सदस्य, एमएलए, जिला परिषद, पंचायत समिति अध्यक्ष, सरपंच, राजस्व अधिकारियों इत्यादि की उपस्थिति में खाली बक्से में रखे जाएंगे। तथापि कम से कम 50% उम्मीदवारों (जिसके नाम ड्रॉ में हैं) और संबंधित कंपनी के अधिकारियों का कोरम होने पर पर्चियों से ड्रॉ निकाला जा सकता है। ड्रॉ की कार्यवाही की विडियो फिल्म बनाई जाए।
- 12.8. एक टोकन नंबर निकाला जाएगा और जिस उम्मीदवार को टोकन नंबर आबंटित किया गया है उसे चयनित उम्मीदवार घोषित किया जाएगा।
- 12.9. चयनित उम्मीदवार का फील्ड सत्यापन किया जाएगा और आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी यदि सही पाई जाती है तो, चयनित उम्मीदवार को आशय पत्र जारी किया जाएगा।
- 12.10. फील्ड जॉच के परिणामों के कारण चयनित उम्मीदवार की अस्वीकृति या यदि वह राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक के लिए निश्चिन्त समयावधि के अंदर सुविधाएं जुटाने में असमर्थ होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और अगला उम्मीदवार चुनने के लिए उपर्युक्त पैरा 12.3 से 12.6 में वर्णित कार्यपद्धति के अनुसार शेष पात्र उम्मीदवारों से एक बार फिर ड्रॉ निकाला जाएगा।

13. आरजीजीवायएलवी आरंभ करना

चयनित उम्मीदवार जिसे 'आशय पत्र' (एलओआई) दिया गया है को इसमें दी गई शर्तों और नियमों का पालन करना होगा, ताकि नियत अवधि के भीतर आरजीजीएलवी आरंभ किया जाए। आरंभ करने से पूर्व नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और करार किया जाएगा। आरंभिक पाँच वर्षों के लिए करार की अवधि पाँच वर्ष रहेगी और तत्पश्चात हर पाँच सालों में नवीनीकृत की जाएगी, जो निष्पादन परीक्षण के आधार पर होगी।

14. सुरक्षा जमा

चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले संबंधित तेल कंपनी के पास रु. लाख की ब्याज मुक्त अप्रतिदेय सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। संबंधित तेल विपणन कंपनी को अधिकार है कि त्यागपत्र/समाप्ति के समय इस रकम से कोई भी देय राशि समायोजित करे। तथापि किसी स्थापित कदाचार के कारण आरजीजीएलवी रद्द करने के मामले में यह सुरक्षा जमा रकम जब्त की जाएगी।

15. शिकायत निवारण प्रणाली

आरजीजीएलवी के चयन के खिलाफ उपर्युक्त पैरा 12.4 के अनुसार कोई शिकायत मिलने पर, निम्नानुसार निपटान किया जाएगा:

- 15.1. गुमनाम शिकायतों की सामान्यतः छानबीन नहीं की जाएगी।
- 15.2. शिकायत मिलने पर, तेल कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से पत्र भेजा जाएगा जिसमें उन्हें 30 दिनों के भीतर, आरोपों को सिद्ध करने के लिए आरोपों का ब्यौरा और इसके साथ समर्थक दस्तावेज भेजने के लिए कहा जाएगा। दस्तावेज मंगाते समय शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा कि जाँच के दौरान यदि शिकायत झूठी/निराधार पाई जाती है तो कंपनी को अधिकार है कि वह कानून के अनुसार शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे।
- 15.3. संबंधित तेल कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के जवाब की जाँच की जाएगी और यदि पाया गया कि शिकायत में स्पष्ट और सत्यादित आरोप नहीं हैं तो इसे फाइल कर दिया जाएगा।
- 15.4. यदि शिकायत की छानबीन करने का निर्णय लिया गया है तो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा छानबीन की जाएगी और तत्पश्चात शिकायत के संबंध में निम्नानुसार निर्णय किया जाएगा:

15.4.1.1. शिकायतें जो स्थापित नहीं हुई हैं:

शिकायत फाइल की जाएगी और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

15.4.1.2. स्थापित शिकायत

शिकायत स्थापित होने पर, शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाएगा और संबंधित तेल कंपनी द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

16. गलत जानकारी देना

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी यदि आरजीजीएलवी के रूप में नियुक्ति से पहले या बाद में गलत पाई जाती है तो आबंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आरजीजीएलवी आरंभ हो चुकी हो तो रद्द कर दी जाएगी।

17. सामान्य सूचना

- 17.1. आवेदक नोट करे कि आरजीजीएलवी प्रति माह 600 रिफिल और 1800 एलपीजी कनेक्शनों की अनुमानित रिफिल संभाव्यता पर आधारित होते हैं। आर्थिक व्यवहार्यता के लिए मालिक को स्वयं आरजीजीएलवी का प्रचालन करना होगा। आवेदक अपनेआप को व्यापार की व्यावहारिकता पर समुचित रूप से संतुष्ट कर लें।
- 17.2. ब्रोशर में दी गई जानकारी मात्र सूचनार्थ है और तेल कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे अपने विवेक से कार्यस्थल के लिए प्रकाशित विज्ञापन की किसी भी शर्त एवं नियम को संशोधित या परिवर्तित करे, जोड़े या मिटाए जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। जिस कार्यस्थल के लिए आवेदक ने आवेदन किया है उसपर उस कार्यस्थल के लिए विज्ञापन में दी गई शर्तें शासित होंगी।

17.3. इस ब्रोशर में दी गई विषय वस्तु को नीति दस्तावेज़ न माना जाए और इसे कानूनी रूप से उद्धृत नहीं किया जा सकता। इस ब्रोशर में दी गई विषय वस्तु के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण या व्याख्या का अंतिम प्राधिकार यदि जरूरी हो तो तेल कंपनी का होगा। इस ब्रोशर की विषय वस्तु की गलतफहमी या गलत व्याख्या से हुई हानि या नुकसान के लिए तेल कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कॉर्पोरेशन द्वारा समय-समय पर बिना कोई सूचना दिए इस ब्रोशर के विषय वस्तु को संशोधित कर सकता है।
